रजिस्ट्री स. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 1985/भाद्र 13, 1907

No 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 1985/BHADRA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली 1 सितम्बर 1985

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 27-ई टी स (पी एन)/85

विषय—1-1-1986 से 31-12-1986 तक संयुक्त राज्य अमरीका यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों कनाडा आस्ट्रिया फिनलैंड स्वीडन और नार्वे को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत सूत के कपड़ों और/या ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार मदों के निर्यात के लिये योजना।

फा० सं. 2/65/85-ई-I-1 योजना —यह योजना 1-1-86 से 31-12-86 तक की अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मन संघीय गणराज्य फ्रांस इटली बेनिलक्स यू. के., आयरलैंड, डेनमार्क और ग्रीस) आस्ट्रिया, कनाडा, फिनलैंड स्वीडन और नार्वे को सूत ऊन और मनुष्य निर्मित धागों के कुछ कपड़ों और/या तैयार मदों के निर्यात से संबंधित है।

2 योजना के प्रशासन के लिए अभिकरण —2(1) जब तक अन्यथा रूप से निदेश न दिए जाएं, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्सप्रोसिल) सभी वस्त्रों और तैयार वस्तुओं के लिए निर्यात हकदारी का आबंटन करेगी किन्तु ऊनी वस्त्र और तैयार वस्तुओं को छोड़कर जिनकी निर्यात हकदारी का आबंटन ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ई पी सी) द्वारा किया जाएगा। लेकिन सभी वस्त्र और तैयार वस्तुएं जिनमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्तुएं भी शामिल हैं के लिए आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूची सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध है। सरकार का यह अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे इस योजना के प्रशासन के लिए अभिकरणों के संबंध में परिवर्तन कर सकती है।

2(2). निर्यात हकदारी का आबंटन केवल सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत निर्यातकों को ही किया जाएगा।

3 मात्रा आबंटन की प्रक्रिया और आबंटन वर्ष का विभाजन—निर्यात के लिए मात्रा के आबंटन की तीन पद्धतियां होंगी —3(1) वार्षिक स्तर के 40 प्रतिशत का आबंटन भूतकालीन निष्पादन के आधार पर किया जाएगा और 40 प्रतिशत का पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण के आधार पर और 20 प्रतिशत पहले आए सो पहले पाए तैयार वस्त्र के आधार पर।

3(2) भूतकालीन निष्पादन पद्धति के मामले में 1-1-1986 से 30-9-1986 तक की एक एकल आबंटन अवधि होगी। पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण पद्धति और पहले आए सो पहले पाए तैयार वस्त्र पद्धति के मामले में वर्ष का विभाजन चार मास की तीन अवधियों अर्थात् 1-1-1986 से 30-4-1986 1-5-1986 से 31-8-1986 और 1-9-1986 से 31-12-1986 में किया जाएगा।

3(3) पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण पद्धति और पहले आए सो पहले पाए तैयार माल पद्धति के अधीन उपलब्ध मात्रा का 50%

प्रथम अवधि जनवरी/अप्रैल 1986 के दौरान लदान के लिए आवंटित किया जाएगा और 25 प्रतिशत की दूसरी अवधि मई/अगस्त 1986 के दौरान लदान के लिए आवंटित किया जाएगा और शेष 25% तृतीय अवधि सितम्बर/ दिसम्बर 1986 के लिए आवंटित किया गए जाएगा। लेकिन, उपर्युक्त अवधियों और/या पद्धतियों-वार अनुपातों को, भाग के प्रवृत्ति और अन्य पैरामीटर्स के आधार पर सरकार द्वारा आयोजित किया जा सकता है।

4 खण्ड के लिए आरक्षण —जहां पर सूती, ऊनी और मनुष्य निर्मित धागे की निर्यात हकदारी मिश्रित की जाती है ऊनी और सम्मिश्रण सामानों के लिए आरक्षण विशेष मात्राओं को शर्तों के अनुसार किया जाएगा। वस्त्र आयुक्त द्वारा वास्तविक मात्राओं का निश्चय गत वर्ष के पैटर्न और चालू वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः परिषदों पक्की जरूरतें प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

. भूतकालीन निष्पादन हकदारी योजना.—(1) हकदारियों का निश्चय करने के लिए एजेन्सी —प्रत्येक निर्यातक के संबंध में भूतकालीन निष्पादन योजना के अधीन हकदारी की गणना करने के लिए एजेन्सी सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (टेक्सप्रोसिल) होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में किया विधियां निर्धारित करेंगे और टेक्साप्रोसिल के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

(2) निर्धारित अवधि और उच्चतम सीमा—हकदारी का निश्चय प्रत्येक निर्यातक के लिए 1983, 1984 और जनवरी/जून 1985 के दौरान किए गए निर्यातों के औसत के आधार पर प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के लिए यथा अनुपात किया जाएगा। आवंटन यथानुपात के आधार पर किया जाएगा। लेकिन कोई भी निर्यातक प्रत्येक श्रेणी/देश में आधार अवधि में अपने वार्षिक औसत निर्यात से अधिक के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) निष्पादन बान्ड—भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिए पात्रता प्राप्त करने वाले निर्यातकों को निष्पादन बान्ड भरे बिना ही 31-3-1986 तक अपनी हकदारी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) निर्यातकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे 31-3-1986 तक अप्रयुक्त हकदारियों को अध्यर्पित कर दें या उन्हें ऐसा मात्रा रखने की अनुमति दी जाएगी जो वे 31 मार्च, 1986 से पहले या इस तिथि को 1/-रुपया प्रति किलो ग्राम की दर पर बैंक गारन्टी या नकद निक्षेप द्वारा समर्थित निष्पादन बान्ड देकर रखने की इच्छा करे और जिन मामलों में यूनिट का आवंटन किसी ग्रामों में हो वहां यह दर ई ई सी देशों को रुमालों के लिए 24 पैसे प्रति दर्जन, संयुक्त राज्य अमरीका को 40 पैसे प्रति दर्जन टेरि तौलिएं और वस्त्रों के लिए 10 पैसे प्रति वर्ग गज और कनाडा को ऊनी वर्सटिड वस्त्रों के लिए 10 पैसे प्रति वर्ग गज होगी।

(5) निर्यातकों को 30-6-1986 को उपर्युक्त 5(4) में 50 प्रतिशत की दर पर अपनी अप्रयुक्त हकदारी को अध्यर्पित करने का विकल्प दिया जाएगा।

(6) यदि उपयोग 30 सितम्बर, 1986 से पहले 75 प्रतिशत से कम रहता है तो निर्यातक को पैरा 5(4) में विशिष्टिकृत दर से छूटने दर पर निष्पादन बांड के निष्पादन द्वारा 31 दिसम्बर, 1986 तक पोतलदान करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जाएगा।

(7) हस्तान्तरण —(क) 30-9-1986 तक किसी भी समय किसी भी निर्यातक को अपनी हकदारी में किसी भी हिस्से का हस्तान्तरण करने का एक निर्यातक का विकल्प होगा।

(ख) हस्तान्तरित मात्रा उस हस्तान्तरी के निर्यात के रूप में मानी जाएगी जो वास्तव में माल का लदान करता है।

(ग) हस्तान्तरी के पास की हकदारी उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी जो हस्तान्तरक के पास हकदारी के लिए लागू हैं।

(घ) एक निर्यातक जो पूर्ण रूप या आंशिक रूप से किसी विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से हस्तान्तरण द्वारा हकदारी प्राप्त करता है वह उस देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी का हस्तान्तरित करने का हकदार नहीं होगा।

(ङ) विशेष देश/श्रेणी के भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण उस निर्यातक के लिए अनुमेय नहीं होगा जिसके पास उसी देश/श्रेणी में "पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण कोटा हो।

6 पहले आए सो पहले पाए के आधार पर संविदा आरक्षण पद्धति (1) पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण आधार पर आवंटन के लिए, निर्यातक को आवेदन पत्र के साथ यदि आवंटन कि.ग्रा. में है तो 1/- रुपया प्रति कि. ग्रा. की दर पर यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देशों के लिए रुमालों के लिए 12 पैसे प्रति दर्जन, यू.एस.ए. के लिए टेरी तौलियों के लिए 24 पैसे प्रति दर्जन और वस्त्रों के लिए 5 पैसे प्रति वर्ग गज और कनाडा के लिए ऊनी वर्सटिड वस्त्रों के लिए 5 पैसे वर्ग मीटर की दर पर परिकलित बैंक गारन्टी द्वारा समर्पित निष्पादन बांड प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(2) उपर्युक्त कंडिका 6(1) में विनिर्दिष्ट दुगनी दरों पर निष्पादन बान्ड भेज कर निर्यातक अगले आवंटन अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते की उसने 30 जून 1986 तक अपनी हकदारी का 75 प्रतिशत हिस्सा उपयोग कर लिया है।

(3) यदि किसी निश्चित दिन किसी देश/श्रेणी में वितरण के लिए आवेदित कुल मात्रा उपलब्ध मात्रा से अधिक है तो आवंटन उच्च मूल्य आधार पर किया जाएगा।

7 पहले आए सो पहले पाए तैयार माल पद्धति —(1) पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर मात्रा के आवंटन के मामले में निर्यातक के आवेदन-पत्र के साथ पोतलदान बिल, वस्त्र समिति निरीक्षण प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो ए आर 4 या ए आर 6/ए आर 3-प्रपत्र और 50 पैसे प्रति कि. ग्रा. की दर पर परिकलित अंकित धन निक्षेप के लिए चैक प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर वास्तविक पोतलदान प्रस्तुत नहीं किया जाता तो जब्त कर लिया जाएगा।

7(2) यदि किसी विशेष दिन आवेदित कुल मात्रा किसी देश/श्रेणी में वितरण के लिए उपलब्ध मात्रा से कम है तो आवंटन उच्च मूल्य आधार पर किया जाएगा।

8 प्रमाण करण/पोतलदान:— आवंटन की सभी दो पद्धतियों के अन्तर्गत टेक्सप्रोसिल द्वारा प्रमाणीकरण किए जाने के मामले में प्रमाणीकरण की तारीख से 21 पूरे दिन की अवधि के लिए पोतलदान के लिए इस शर्त के अधीन होगा कि कोई भी प्रमाण-पत्र 31 दिसम्बर 1986 के बाद वैध नहीं होगा।

9. धीमी रफ्तार की मदें.—वस्त्र आयुक्त भूतकालीन निर्यातों और वर्तमान पद्धति के आधार पर धीमी रफ्तार वाली मदों का अभिज्ञान करेगा और उनकी सूची की घोषणा करेगा। ऐसी मदें निम्नलिखित रियायतों के लिए पात्र होंगी.—

(क) निष्पादन गारन्टी के मुद्दे संरक्षा में संबंधित प्राधिकारी उन मन्द गति वाली मदों के मामले में जो कि इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिज्ञात है, भूतकालीन निर्यातों और वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग कर दी जाएगी।

(ख) मन्द गति वाली मदों की पहचान के लिए, आवेदक को बैंक गारन्टी अथवा नकद निक्षेप के बिना वस्त्र संवर्धन समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में केवल निष्पादन बान्ड ही भेजा जाएगा।

10 पेशगी धनराशि का निक्षेप बैंक गारन्टी और उनकी जब्ती :—जो निर्यातक पहले आओ पहले पाओ संविदा आरक्षण अथवा पहले आए सो पहले पाए पोतलदान के अन्तर्गत विशेष निर्यात हकदारी अथवा पूरे वर्ष पश्चातवर्ती निष्पादन के अन्तर्गत उसे आबंटित हकदारी कोटे के 90 प्रतिशत तक निष्पादन करता है तो उसे जुर्माने का भुगतान नहीं करना होगा। जो निर्यातक 75 प्रतिशत तक किन्तु 90 प्रतिशत से कम निर्यात करता है उसे अनुपात के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यदि निर्यात हकदारी का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातक पूरे पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त कराने के लिए उत्तरदायी होगा। जब भी ऐसा हो, यह कार्यवाही अधिसूचना के अधीन लागू होंगी।

(2) समय वृद्धि के लिए आवेदन-पत्र समयबद्ध अवधि के एक मास के भीतर दाखिल कर दिए जाएंगे।

(3) इस नीति के अनुसार जिन निर्यातकों को निर्यात का आबंटन किया गया है किन्तु जो उसका उपयोग नहीं करते हैं, भविष्य में वे आबंटन के अयोग्य माने जाएंगे और उन पर बिना किसी पक्षपात के उस संबंध में कार्रवाई की जा सकती है।

11.6 पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त करने के विरुद्ध अपील आबंटित निर्यात हकदारी का उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी के जब्त करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए केवल निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी। सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जब्त किए जाने पर संबद्ध निर्यातक ऐसे जब्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त बम्बई को इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्र निर्णय देंगे। यदि किसी मामले में, निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र विभाग को की जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गयी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

12. निर्यात हकदारी आबंटन का पर्यवेक्षण :—वस्त्र आयुक्त, बंबई निर्यात हकदारी के आबंटन से संबंधित मामलों पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के अधिकार को जारी रखेगा। एक समन्वय समिति, जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे और संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, वे समय-समय पर नीति के प्रचालन की पुनरीक्षा करेंगे। विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

13. सीमाशुल्क द्वारा निकासी क. नियंत्रण के अधीन उत्पाद पोतलदान की अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेषणों के लिए मूल पोत-परिवहन बिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

ख. हथकरघा उत्पाद :—जहां तक नियंत्रित मदों की संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं के निर्यात का संबंध है, वहां सीमाशुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कोटा नेशनल प्रपत्र के भाग-2 में, निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

ग. भारतीय मद के लिए क्रियाविधि उन भारतीय मदों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परंपरागत लोक प्रचलित उत्पाद है, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, यू. एस. ए., फिनलैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा और नार्वे को निर्यात के लिए पोतलदान सीमाशुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुमित किया जाएगा।

14(क). निर्यात प्रमाण-पत्र, उद्गम प्रमाण-पत्र और वीसा :—संगत द्विपक्षीय समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाण-पत्र सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् या उनके नाम में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य परिषद् द्वारा जारी किए जाएंगे :—

(1) ई ई सी. –(क) बुने हुए पावरलूम और मिल निर्मित सूत की पोशाकें जो नियंत्रण के अधीन हैं, के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र और उद्गम प्रमाण-पत्र।

(ख) बुने हुए/पावरलूम/मिल निर्मित सूत की पोशाकें जो नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, के लिए उद्गम प्रमाण-पत्र।

(2) आस्ट्रिया —नियंत्रण या निगरानी की शर्त के अधीन सूत पावरलूम/मिल निर्मित पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र।

(3) कनाडा —बुने हुए पावरलूम और मिल-निर्मित सूत की पोशाकें जो नियंत्रण के अधीन हैं, केवल 500 या इससे कम कनेडियन डालर मूल्य के परेषण के लिए निर्यात-प्रमाण-पत्र।

(4) यू. एस. ए. (क) यू. एस. डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की मिल निर्मित/पावरलूम पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए वीसा।

(ख) यू. एस. डालर 250 या इससे कम मूल्य के परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाण-पत्र।

(5) स्वीडन —सभी मिल निर्मित/पावरलूम/हैंडलूम/बुनी हुई किरोसिया में बुने हुए मात्रिक उद्गम के अधीन निर्यात प्रमाण-पत्र।

(6) नार्वे : श्रेणी 7 के अन्तर्गत मिल निर्मित और शक्ति चालित करघे के बेड लिनन के संबंध में निर्यात प्रमाण-पत्र/उद्गम का प्रमाण-पत्र।

(ख) हथकरघा छूट प्रमाणपत्र नियंत्रित मदों से संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं के कनाडा को निर्यात, सूती वस्त्र हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं का आस्ट्रिया को निर्यात तथा हथकरघा वस्त्र और तैयार वस्तुओं का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के राज्यों तथा यू. एस. ए. और बेड लिनन को नार्वे को निर्यात के मामले में पट्ट समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौते में यथा-निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी प्रावधान का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है।

16. संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के पते निम्नलिखित अनुसार हैं :—

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
न्यू सी. जी. ओ. बिल्डिंग,
न्यू मैरीन लाइन्स,
पोस्ट बाक्स नं. 11500, बंबई-400020

2. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
इंजीनियरिंग सेन्टर,
5वीं मंजिल,
9-मैथ्यू रोड,
बंबई-400004

3. सिल्क और रेयान टेक्सटाइल्स निर्यात संवर्धन परिषद,
रेशम भवन,
चर्चगेट रिक्लेमेशन
बम्बई-400020

4. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद
612/714, अशोक एस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड
नई दिल्ली-110001

5. कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद
दुकान नं. बी-115 सेक्टर-1
पोस्ट आफिस ... जिला गाजियाबाद।

6. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
वेस्ट ब्लाक, 7 आर. के. पुरम
नई दिल्ली-110022

7. वस्त्र समिति
"क्रिस्टल" 79-डा. एनी बेसेंट रोड
वर्ली, बम्बई-400018

राज्य लक्ष्मी मिश्र, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 4th September, 1985

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 27-ETC(PN)|85

SUB. : Scheme of exports under OGL-3 of certain fabrics and|or made-up items made from cotton, wool and man-made fibres, to USA, European Economic Community Member States, Canada, Austria, Finland, Sweden and Norway from 1-1-1986 to 31-12-1986.

File No. 2|65|85|E.I.—1. The Scheme.—This scheme relates to the exports of certain fabrics and|or made-up items of cotton, wool and man-made fibres to USA, European Economic Community Member States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, U.K., Ireland, Denmark and Greece) Austria, Canada, Finland, Sweden and Norway for the period 1-1-1986 to 31-12-1986.

2. Agencies for the Administration of the Scheme.—2(i) Unless otherwise directed, the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL) will allocate export entitlements for all fabrics and made-ups except woollen fabrics and made-ups for which export entitlement allocation will be done by the Wool & Woollen Export Promotion Council (W& WEPC). However, necessary certification for all fabrics and made-ups including the woollen fabrics and made-ups will be done by the Cotton Textiles Export Promotion Council. Lists of categories of the Textile products covered under the scheme are available with the Cotton Textiles Export Promotion Council and the Wool & Woollen Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes as considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the scheme.

2(ii) Export Entitlements will be allotted only to exporters registered with the Competent Registering Authorities.

3. Systems and quantum of allotment and divisions of the allotment year. There will be three systems of allocation of quantity for export :—

3(i) 40 per cent of the annual level will be allocated on the basis of past performance, 40 per cent on the basis of First-come, First-served(FCFS) Contract Reservation and 20 per cent on (FCFS) Readygoods basis.

3(ii) In the case of past performance system, there will be a single period of allocation from 1-1-1986 to 30-9-1986. For FCFS Contract Reservation system and FCFS Readygoods system, the year will be divided into three four monthly periods i.e. 1-1-1986 to 30-4-1986, 1-5-1986 to 31-8-1986 and 1-9-1986 to 31-12-1986.

3(iii) 50 per cent of the quantity available under the system of FCFS Contract Reservation and FCFS Readygoods will be allocated for shipment during the first period January|April, 1986, 25 per cent for shipment during the second period May|August, 1986, and the remaining 25 per cent for shipment during the third period, September|December, 1986. The above period and|or systemwise ratios may, however be modified by the Government depending upon the demand patterns and other parameters.

4. Reservation for segments.—Wherever export entitlements for cotton, woollen and man-made fibres are combined, the reservation for woollen and synthetic items will be done in terms of specific quantities The actual quantities will be determined by the Textile Commissioner after ascertaining the firm requirements from the respective Councils keeping in view the past pattern and prevailing trends.

5. Past Performance Entitlement System.—(i) Agency for determining entitlements : The Agency for calculation of the entitlement under the past performance system in respect of each exporter will be the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL). The Textile Commissioner will lay down procedures in this regard and supervise the work of the TEXPROCIL.

(ii) Base Period and Ceiling.—The entitlement shall be determined pro-rata for each country|category combination on the basis of the average of exports during 1983, 1984 and January|June, 1985 for each exporter. The allotment will be made on pro-rata basis. No exporter shall, however, be entitled to more than his annual average exports in the base period in each category|country.

(iii) Performance bond.—The exporters qualifying for past performance entitlement will be allowed to utilise their entitlement without executing performance bond upto 31-3-1986.

(iv) The exporters will be given the option to surrender the unutilised entitlements by 31-3-1986 or retain such quantity as they may desire by giving performance bond backed either by Bank Guarantee or cash deposit on or before 31st March, 1986, at the rate of Re. 1 per kg. where the unit of allotment is in terms of kgs., 24 paise per dozen for handkerchiefs to EEC countries, 48 paise per dozen for terry towels and 10 paise per Sq. yard for fabrics to USA and 10 paise per Sq metre for woollen worsted fabrics to Canada.

(v) Exporters will be given an option to surrender their unutilised entitlement at 50 per cent of the rates at 5(iv) above as on 30-6-1986.

(vi) Where the utilisation is not less than 75 per cent before 30th September, 1986 the exporter will be given an option to seek extension for shipment upto 31st December, 1986, by executing a performance bond at double the rates specified in paragraph 5(iv).

(vii) Transferability.—Past Performance Entitlement shall be transferable subject to the following conditions;

(a) An exporter will have the option to transfer any portion of his entitlement to any other registered exporter at any time upto 30-9-1986.

(b) The quantity transfered shall be counted as exports of the transferee, who actually ships the goods.

(c) The entitlement in the hands of the transferee shall be subject to the same terms and conditions as those applicable to it in the hands of the transferee.

(d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country|category, either in full or in part, will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country|category.

(e) Transfer of Past Performance Entitlement in a particular country|category shall not be allowed to the exporters who have FCFS contract reservation quota in the same category|country.

6. FCFS Contract Reservation System.—(i) For allotment on FCFS Contract Reservation basis, the exporter will have to submit alongwith the application, performance bond backed by bank guarantee or by cash deposit calculated at the rate of Re. 1|- per kg. where allotment is in kgs., 12 paise per dozen for handkerchiefs to EEC, 25 paise per dozen for terry towels, 5 paise per Sq. Yard for fabrics to USA and 5 paise per Sq. meter for woollen worsted fabrics to Canada.

(ii) The exporter may seek extension for the next allotment period by executing performance bond at double the rates specified in para 6(i) above, provided he has utilised not less than 75 per cent of his entitlement by 30th June, 1986.

(iii) If on any particular day the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution in any country|category, the allotment will be made on high price basis.

7. FCFS Readygoods System.—(i) Allocation of quantity on the basis of FCFS Readygoods will be made only against the goods which are physically ready for shipment. The exporter will have to submit along with the application, shipping documents, the Textiles Committees Inspection Certificate, AR4 or AR5|AR3 forms and a cheque towards earnest money deposit calculated at the rate of 50 paise per kg., which shall be forfeited if proof of actual shipment is not produced within the prescribed time limit.

(ii) If on any particular day the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution in any country|category, the allotment will be made on high price basis.

8. Certification|Shipment.—Certification by TEXPROCIL under all the three systems of allotment will be valid for shipment for a period of 21 clear days from the date of certification subject to the condition that no certificate shall be valid beyond 31st December, 1986 in any case.

9. Slow Moving Items.—The Textile Commissioner will identify and announce a list of slow moving items on the basis of past exports and prevailing trends. Such items will be eligible for the following relaxations :

(a) The provisions regarding security against performance guarantee would be dispensed with in the case of slow moving items, specially identified for this purpose, by the Textile Commissioner on the basis of past exports and prevailing trends.

(b) For the identified slow moving items, applicants will have to submit only the performance bond in the proforma prescribed by TEXPROCIL without any Bank guarantee or cash deposit.

10 Earnest Money Deposit|Bank Guarantee & Forfeiture thereof.—(i) An exporter, who performs not less than 90 per cent of the export entitlements allotted to him under past performance entitlement and FCFS Contract Reservation Systems in a particular export entitlement period will not be liable to forfeiture of performance bond. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will have to pay proportionate forfeiture. If the export entitlement utilisation is less than 75 per cent the exporter will be liable to forfeiture of his performance bond in full. This will be subject to force majeure conditions wherever these arise.

(ii) Application for extension shall be filed within one month of the relevant period.

(iii) Exporters to whom export entitlements are allotted in terms of this policy but who do not utilise them would render themselves liable to disqualification from future allotment without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

11. Appeal against forfeiture of EMD's|Bank Guarantees.—For the purpose of giving consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMD's|Bank Guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD's|Bank Guarantees by the TEXPROCIL, the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the commu-

nication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. If in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal with lie with Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

12. Supervision of allocation of export entitlements.—The Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlement. A co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

13. Clearance by Customs

A. Products under restraint.—Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement of the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

B. Handloom products.—In so far as exports of all handloom fabrics|made-ups, corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in Part-2 of the combination form.

C. Made-ups falling under India Items.—In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exporters to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden, Canada and Norway on the basis of appropriate certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

14 (A) Export Certificate, Certificate of origin & Visa.—The following certification, required under the relevant Bilateral Textile Agreements, Will be issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf :

(i) EEC.—a. Export Certificate and certificate of origin for all restrained items of powerloom|millmade| knitted origin.

b. Certificate of origin for non-restrained items of powerloom|millmade|knitted origin.

(ii) AUSTRIA.—Export certificates for fabrics| made-ups of powerloom|millmade origin subject to restraint or surveillance.

(iii) CANADA.—Export certificate for fabrics and made ups of mill-made|powerloom|knitted origin which are subject to restraint except for consignments valued at less than Chanadian $ 500.

(iv) USA.—(a) Visa for all millmade|powerloom fabrics and made-ups consignments valued above US $ 250|-.

b. Exempt certificate for consignments valued at US $ 250|- or less.

(v) SWEDEN.—Export certificate for all made-ups of millmade|powerloom|handloom|knitted|crocheted origin under quantitative restraint.

(vi) NORWAY.—Export certificate|Certificate of origin in respect of bed linen of powerloom and millmade under category 7.

14.(B) Handloom exempt certificate.—In the case of export of all handloom fabrics|made-ups corresponding to restrained items to Canada, Cotton Handloom Textile Fabrics|Made-ups to Austria, all handloom and fabirc and made-ups to EEC and the USA and handloom bed-linen to Norway the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

15. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

16. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textiles Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. Office of the Textile Commissioner,
   New C.G.O. Building,
   New Marine Lines,
   Post Box No. 11500,
   Bombay-400020.
2. The Cotton Textiles Export Promotion Council,
   Engineering Centre,
   5th Floor,
   9-Mathew Road,
   Bombay-400004.
3. Silk & Rayon Textiles Export Promotion Council,
   Resham Bhavan,
   Veer Nariman Road,
   Bombay-400020.
4. The wool & Woollen Export Promotion Council,
   612|714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road,
   New Delhi-110001.
5. Carpet Export Promotion Council,
   Shop No. B-115,Sector-XVIII,
   Post Office NOIDA,
   Distt. Ghaziabad.
6. Development Commissioner (Handicrafts),
   West Block, VII, R. K. Puram,
   New Delhi-110022.
7. Textiles Committee,
   "Crystal", 79-Dr. Annie Besant Road,
   Worli,
   Bombay-400018.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985